राहुल बनाम चौधरी

202/2024

12/9/24	पत्रावली पेश [illegible] पी0ओ0 अन्य राज्य कार्य में [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/9/24 को पेश हो।	
18/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक 4/10/24 को पेश हो।	
4/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील आवेदक उपस्थित TPR सीमाज्ञान से तरमीम रिपोर्ट शामिल पत्रावली है तरमीम रिपोर्ट पर बहस सुनी गई बहस आवेदक व पत्रावली का [illegible] करने पर वादी के पक्ष में प्रारम्भिक तरमीम रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया पत्रावली बाद पालना [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	तरमीम रिपोर्ट के आधार पर डिक्री जारी [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 202/2024
निर्णय दिनांक : 04.10.2024

1. राहुल मीना पुत्र गिरधारीलाल मीना जाति मीना निवासी धोली कोठी टोडी रामजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

श्रीमती घीसी देवी मीणा पत्नी श्री बद्री प्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी उपला दरवानो की ढाणी, नटाटा जिला जयपुर।
श्रीमती कमला पत्नी स्व श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम टोडी रामजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू–राजस्व

निर्णय

दिनांक: 04.10.2024

वादी ने दिनांक 12.07.2024 को वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमाज्ञान पत्थरगढी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादी के वाद में दिनांक 22.08.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा मू.अभि.नि.क्षेत्र मुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 80 पुराना 5 के हाल खसरा नम्बर 419/280 रकबा 1.31 हैक्टयर एवं खाता सख्या नया 81 पुराना 5 में वर्णित खसरा नम्बर 282 रकबा 0.33 हैक्टेयर का उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 08.0[illegible] [illegible] पेशी तारीख पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0/कुर्रेजात/2024/[illegible] दि[illegible] 12.09.2024 संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वाद मे की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। कुर्रेजात रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नही हुई।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादी का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा मू.अभि.नि.क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 80 पुराना 5 के हाल खसरा नम्बर 419/280 रकबा 1.31 हैक्टयर एवं खाता सख्या नया 81 पुराना 5 में वर्णित खसरा नम्बर 282 रकबा 0.33 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

		प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज				
क्र. स.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	जाव 3	1. राहुल मीना पुत्र गिरधारीलाल मीना	419/280 मि.	0.56		हरा
2.	चाही 3 बरानी 3	घीसी देवी मीणा पत्नी श्री बद्री प्रसाद मीणा	419/280 मि. 282 मि.	0.1450 0.1250		पीला
		कुल किता	2	0.2700		
3.	जाव 3 बारानी3	कमला पत्नी स्व0 रामस्वरूप हिस्सा सम्पूर्ण	419/280 282 मि.	0.6150 0.2050	0.4650 चाही 3	नीला
		कुल किता	2	0.8200		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति वाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

वाद पत्र : 202/2024

निर्णय दिनांक : 04.10.2024

1. राहुल मीना पुत्र गिरधारीलाल मीना जाति मीना निवासी धोली कोठी टोडी रामजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती घीसी देवी मीणा पत्नी श्री बद्री प्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी उपला दरवानो की ढाणी, नटाटा जिला जयपुर।
2. श्रीमती कमला पत्नी स्व श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम टोडी रामजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू–राजस्व

निर्णय डिक्री

दिनांकः 04.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा मू.अभि.नि.क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 80 राना 5 के हाल खसरा नम्बर 419/280 रकबा 1.31 हैक्टयर एवं खाता सख्या नया 81 राना 5 में वर्णित खसरा नम्बर 282 रकबा 0.33 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व कार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

	प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज				
किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
जाव 3	1. राहुल मीना पुत्र गिरधारीलाल मीना	419/280 मि.	0.56		हरा
चाही 3 बरानी 3	घीसी देवी मीणा पत्नी श्री बद्री प्रसाद मीणा	419/2[illegible] मि. 282 मि.	[illegible] 0.1250		पीला
	कुल किता	2	0.2700		

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

3	जाव 3 बारानी3	कमला पत्नी स्व0 रामस्वरूप हिस्सा सम्पूर्ण	419/280 282 मि.	0.6150 0.2050	0.4650 चाही 3	नीला
		कुल किता	2	0.8200		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद वशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.10.2024 को सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

ट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये खाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested